हरियाणा सरकार

पूर्ति एवं निपटान विभाग

अधिसूचना

4 फरवरी, 1998

संख्या सा.का.नि.81/संवि/अनु.309/98.--भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा हरियाणा पूर्ति एवं निपटान विभाग (ग्रुप-घ) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनातें हैं, अर्थात :--

भाग I--सामान्य

संक्षिप्त नाम ।

1. ये नियम हरियाणा पूर्ति एवं निपटान विभाग सेवा (ग्रुप-घ) नियम, 1998, कहे जा सकते हैं ।

परिभाषाएं ।

2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो ;

(ख) "निदेशक" से अभिप्राय है, निदेशक पूर्ति एवं निपटान विभाग हरियाणा ;

(ग) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा सरकार ;

(घ) "संस्था" से अभिप्राय है,--

(i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था ; या

(ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था ;

(च) "सचिव" से अभिप्राय है, सचिव हरियाणा सरकार, उद्योग विभाग ;

(छ) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा, पूर्ति एवं निपटान विभाग (ग्रुप-घ) सेवा ।

भाग ।।--सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा उनका स्वरुप ।

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट क में बताए गये पद होंगे :

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थायी अथवा अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

सेवा में नियुक्त उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता, अधिवास तथा चरित्र ।

4. (।) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक की वह निम्नलिखित न हो :-

(क) भारत का नागरिक ;

(ख) नेपाल की प्रजा ; या

(ग) भूटान की प्रजा ; या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962, से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो ; या

(ड.) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या कीनिया, युगांडा तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार), जांबिया, मलावी, जायरे और इथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो :

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग) तथा (ड.) से सम्बन्धित व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो ।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, निदेशक द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिये प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे केवल सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है ।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह अपनी अन्तिम उपस्थिति के विद्यालय या संस्था, यदि कोई हो, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण-पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से जो उससे सम्बन्धित न हो, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली-भांति परिचित हों और उसके विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हो, उसी प्रकार के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करे ।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा जो नियुक्ति प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से अगामी जनवरी के प्रथम दिन को या उससे पूर्व सोलह वर्ष की आयु से कम या पैंतीस वर्ष की आयु से अधिक का हो । आयु ।

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियां निदेशक, द्वारा की जायेंगी । नियुक्ति प्राधिकारी

7. कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में तथा सीधी भर्ती के अन्यथा नियुक्ति की दशा में, पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में उल्लिखित योग्यताएं तथा अनुभव न रखता हो : योग्यताएं ।

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में, अनुभव सम्बन्धी अर्हताओं में भर्ती प्राधिकारी के विवेक पर पचास प्रतिशत सीमा तक ढील दी जा सकेगी यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग प्रवर्गों में उनके लिये आरक्षित पदों को भरने के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो, ऐसा करने के लिये लिखित रूप में कारण दिये जायेंगे ।

8. कोई भी व्यक्ति,-- अयोग्यताएं ।

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है, या विवाह की संविदा कर ली है ; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुये, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है,

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाए कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा

करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है ।

भर्ती का ढंग।

9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी :--

(क) दफ्तरी की दशा में,--

(i) सेवादार, चौकीदार या सफाईकर्ता में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रति-नियुक्ति द्वारा ;

(ख) सेवादार, चौकीदार तथा सफाईकर्ता की दशा में,--

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रति-नियुक्ति द्वारा ।

(2) सभी पदोन्नतियां जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जायेंगी तथा केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नतियों के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी ।

(3) जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो, जब भी कोई रिक्ति होती है या होने की सम्भावना होती है तो नियुक्ति प्राधिकारी यह निश्चित करेगा कि ऐसी रिक्ति किस ढंग से भरी जाएगी ।

परिवीक्षा ।

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो दो वर्ष की अवधि के लिये और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रहेगा :--

परन्तु--

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रति-नियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा की अवधि में गिनी जायेगी ;

(ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा की अवधि की ओर गिनने दी जा सकती है ; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया गया है, परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर, यदि वह किसी स्थायी रिक्ति पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा ।

(2) यदि, नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो वह,--

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है ; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,--

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है ; या

(ii) उसके संबंध में ऐसी अन्य रीति से कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें ।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा की अवधि पूरी होने पर नियुक्ति प्राधिकारी,--

(क) यदि, उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो तो--

(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या

(ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थाई रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, स्थाई रिक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या

(iii) यदि कोई स्थाई रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक से पूरी कर ली है ; या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो,--

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया हो, उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करे ; या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई है, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

ज्येष्ठता ।

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जाएगी :

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिये अलग-अलग निश्चित की जायेगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता नियत करते समय भर्ती प्राधिकरण द्वारा निश्चित योग्यता क्रम को भंग नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप में निश्चित की जायेगी:—

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य, पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों से ज्येष्ठ होगा ;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ग) पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य की दशा में, ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जाएगी, जिन से वे पदोन्नत या स्थानान्तरित किये गये थे ; और

(घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जायेगा जो, अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार और यदि सेवाकाल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा ।

सेवा करने का दायित्व ।

12. (1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिये आदेश दिये जाने पर, ऐसा करने के लिए दायी होगा ।

(2) सेवा के किसी भी सदस्य को सेवा के लिये निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है :--

(i) कोई कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण राज्य सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर नगर निगम, स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय ;

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो ; या

(iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तराष्ट्रीय संगठन, स्वायत निकाय, जिसका नियन्त्रण सरकार के पास न हो अथवा गैरसरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (i) या खण्ड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिये प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा ।

वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामले ।

13. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामलों के संबंध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रुप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियन्त्रित होंगे, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन या राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाए या बनाए गये हों अथवा इसके बाद अपनाए या बनाए जायें ।

अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें ।

14. (1) अनुशासन, शास्तियां और अपीलों से सम्बन्धित मामलों में, सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, द्वारा नियन्त्रित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरुप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के अधीन रहते हुये वे होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं ।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 के नियम 9 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश पारित करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में विनिर्दिष्ट है ।

टीका लगवाना ।

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य, जब भी सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निदेश करे टीका लगवायेगा तथा पुनः टीका लगवायेगा ।

राज्य निष्ठा की शपथ ।

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राज्य निष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी ।

ढील देने की शक्ति ।

17. जहां सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढ़ील देना आवाश्यक या उचित हो, वहां वह कारण लिखकर, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है ।

विशेष उपबन्ध ।

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुये भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझें तो वह ऐसा कर सकता है ।

आरक्षण ।

19. इन नियमों में दी गई कोई भी बात, सरकार द्वारा, इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों,

भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी :

परन्तु इस प्रकार किये गये आरक्षणों की कुल प्रशितता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

20. सेवा को लागू कोई नियम तथा इन नियमों में से किसी के अनुरूप कोई नियम, जो इन नियमों के आरम्भ से तुरन्त पहले लागू हों, इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं : निरसन तथा व्यावृति ।

परन्तु इस प्रकार से निरसित किए गये नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जायेगी ।

परिशिष्ट क

(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पद नाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थाई	अस्थाई	जोड़	
1	2	3	4	5	6
1	दफ्तरी	1	--	1	800-15-1010-ईबी-20-1050 रुपए
2	सेवादार	12	--	12	750-12-870-ईबी-14-940 रुपए
3	चौकीदार	1	--	1	750-12-870-ईबी-14-940 रुपए
4	सफाईकर्ता	1	--	1	750-12-870-ईबी-14-940 + 65 रुपए विशेष वेतन ।

परिशिष्ट ख

(देखिये नियम 7)

क्रम संख्या	पद नाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो ।	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो ।
1	2	3	4
1	दफ्तरी		(i) मिडल पास (ii) सेवादार, चौकीदार अथवा सफाईकर्ता के रूप में पांच वर्ष का अनुभव (iii) मिडल तक हिन्दी का ज्ञान ।
2	सेवादार	(i) मिडल पास (ii) मिडल तक हिन्दी का ज्ञान	(i) मिडल पास ; (ii) मिडल तक हिन्दी का ज्ञान
3	चौकीदार	(i) मिडल पास (ii) मिडल तक हिन्दी का ज्ञान	(i) मिडल पास (ii) मिडल तक हिन्दी का ज्ञान
4	सफाईकर्ता	हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा का पढ़ने और लिखने का ज्ञान होने के साथ थोड़ा बहुत शिक्षित होना चाहिए ।	हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा का पढ़ने और लिखने का ज्ञान होने के साथ थोड़ा बहुत शिक्षित होना चाहिए ।

परिशिष्ट ब

[देखिए नियम 14 (1)]

क्रम संख्या	पद नाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय और अंतिम अपील प्राधिकारी, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7
1	दफ्तरी	निदेशक	1. छोटी शास्तियां : (i) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुये चेतावनी ; (ii) परिनिन्दा ; (iii) पदोन्नति रोकना ; (iv) आदेशों की उपेक्षा या उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी तथा संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण, या अधिकांश स्वामित्व या	निदेशक	सचिव	--
2.	सेवादार					
3.	चौकीदार					
4.	सफाईकर्ता					

1	2	3	4	5	6	7
				नियन्त्रण सरकार के पास है या संसद या किसी स्थानीय प्राधिकरण को हुई धन सम्बन्धी हानि की पूरी या उसके भाग की वेतन से वसूली ; और		
			(V)	संचयी प्रभाव के बिना वेतनवृद्धियां रोकना ;		
			2. बड़ी शास्तियां :			
			(VI)	संचयी प्रभाव में वेतनवृद्धियां रोकना ;		
			(VII)	किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनमते ऐसे अतिरिक्त निदेशों सहित कि क्या कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतनवृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी		

1	2	3	4	5	6	7
				अवधि की समाप्ति पर ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन-वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं :		
			(VIII)	निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान ग्रेड, पद या सेवा पर जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिए साधारणतया रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड, पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी		

1	2	3	4	5	6	7
				अतिरिक्त निदेशों के साथ या उसके बिना होगा ;		
			(IX)	अनिवार्य सेवा निवृति ;		
			(X)	सेवा से हटाया जाना जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिये निर्रहता नहीं होगी ।		
			(XI)	सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिये सामान्यतः निर्रहता होगी ।		

परिशिष्ट घ

[देखिये नियम 14 (2)]

क्रम संख्या	पद नाम	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय या अंतिम अपील प्राधिकारी, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6
1	दफ्तरी	(i) पेंशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना ; और	निदेशक	सचिव	
2	सेवादार				
3	चौकीदार				
4	सफाईकर्ता	(ii) उसकी अधिवर्षित के लिये नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति ।			

एम.एल. तायल,
आयुक्त एवं सचिव,
हरियाणा सरकार,
उद्योग विभाग ।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

SUPPLIES AND DISPOSALS DEPARTMENT

Notification

The 4th February, 1998

No. G.S.R. 81/Const./Art 309/98.--In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Supplies and Disposals Department (Group D) Service, namely :--

PART I--GENERAL

1. These rules may be called the Haryana Supplies And Disposals Department (Group D) Service Rules, 1998. Short title.

2. In these rules, unless the context otherwise requires,-- Definations.

(a) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the Service or by the transfer of an official already in Service of the Government of India or any State Government ;

(b) "Director" means the Director of Supplies and Disposals Department, Haryana ;

(c) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department ;

(d) "institution" means,--

(i) any institution established by law in force in the State of Haryana ; or

(ii) any other institution recognised by the Government for the purpose of these rules ;

(e) "Secretary" means Secretary to Government Haryana, Industries Department ;

(f) "Service" means the Haryana Supplies and Disposals Department (Group D) Service.

PART II--RECRUITMENT TO SERVICE

Number and Charater of posts.

3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules :

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to, or reductions in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

Nationality, domicile and character of candidates appointment to service.

4. (1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is,--

(a) a citizen of India ; or

(b) a subject of Nepal ; or

(c) a subject of Bhutan ; or

(d) a Tibetan refugee who came over to India before the first day of January, 1962, with the intention of permanently setting in India; or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kanya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zair and Ethiopia with the intention of permanently settling in India :

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d) or (e) shall be a person in whose favour a Certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Director, but the offer of appointment may be given only after

the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the Principal, Academic Officer of the school or institution last attended, if any, and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his college, school or institution.

Age.

5. No person shall be appointed to any post in, the service by direct recruitment who is less than sixteen years or more than thirty five years of age on or before the first day of January next preceding the last date of submission of application to the appointing authority.

Appointing authority.

6. Appointment to the posts in the Service shall be made by the Director.

Qualifications.

7. No person shall be appointed to any post in the Service unless he is in possession of qualifications and experience specified in Column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of persons appointed otherwise than by direct recruitment :

Provided that in case of appointment by direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50% at the discretion of the recruiting authority in case sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-servicemen and Physically Handicapped categories, possessing the requisite experience, are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.

Disqualifications.

8. No person,--

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person ;

shall be eligible for appointment to any post in the service :

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

Method of recruitment.

9. (1) Recruitment to the Service shall be made,--

(a) in the case of Daftri,--

(i) by promotion from amongst peon, Chowkidar or Sweeper :

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

(b) in case of Peon, Chowkidar and Sweeper,--

(i) by direct recruitment ; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service or any State Government or the Government of India.

(2) All promotion, unless otherwise provided shall be made on seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions.

(3) Unless otherwise provided, whenever any vecancy occurs or is about to occur, the appointing authority shall determine the manner in which such vacancy shall be filled in.

Probation.

10. (1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment, and one year, if appointed otherwise;

Provided that--

(a) any period, after such appointment, spent on deputation, on a corresponding or a higher

post, shall count towards the period of probation ;

(b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the Service, may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule ; and

(c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may--

(a) if such person is appointed by direct recruitment, disponse with his Services ; and

(b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment,--

(i) revert him to his former post ; or

(ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may--

(a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory,--

(i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy ; or

(ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against temporary vacancy ; or

(iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy ; or

(b) if his work or conduct has, in its opinion, been not satisfactory,--

(i) dispense with his service, if appointed by direct recruitment, if appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him in such other manner as the terms and conditions of previous appointment permit ; or

(ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation :

Provided that the total of probation, including extension, if any, shall not exceed three years.

Seniority.

11. Seniority, *inter se* of members of the Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service :

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadre :

Provided further that in the case of a member appointed by direct recruitment, the order of merit

determined by the recruiting authority shall not be disturbed in fixing the seniority:

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows :--

(a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer;

(b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer;

(c) in the case of a member appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred ; and

(d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment; and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointment; and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

Liability to serve.

12. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

(2) A member of the Service may also be deputed to serve under :--

(i) a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned

or controlled by the State Government, a Municipal Corporation or a local authority or university within the State of Haryana ;

(ii) the Central Government or a Company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government; or

(iii) any other State Government, an international organisation, an autonomous body not controlled by the Government or a private body :

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any Organisation or body referred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.

Pay, leave, pension and other matters.

13. In respect of pay, leave, pension and all other matters not ex-pressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulations, as may have been, or may hereafter be, adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being inforce made by the State Legislature.

Discipline, penalties and appeals.

14. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Service (Punishment and Appeal) Rules, 1987, as amended from time to time :

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions, of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (e) or Clause (d) of sub-rule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, and appellate authority shall be as specified in Appendix D to these rules.

Vaccination.

15. Every member of the Service shall get himself vaccinated or revaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

Oath of allegiance.

16. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take an oath of allagiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Power of relaxation.

17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Special provisions.

18. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment if it is deemed expedient to do so.

Reservations.

19. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-servicemen, physically handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard, from time to time:

Provided that the total percentage of reservations so made shall not exceed fifty per cent at any time.

Repeal and Savings.

20. Any rule applicable to the Service and corresponding to any of these rules which is in force immediately before the commencement of these rules, is hereby repealed :

Provided that any order made or action taken under the rules, so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

ANNEXURE C

[See rule 14(1)]

Sr. No.	Designation of post	Appointing authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority	Second and final appellate authority, if any
1	2	3	4	5	6	7
1	Daftari	Director	Minor penalties	Director	Secretary	--
2.	Peon		(i) warning with a copy on the personal file (charactor roll),			
3.	Chowkidar					
4.	Sweeper					
			(ii) censure,			
			(iii) with holding of promotion,			
			(iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or breach of orders, to the Central Government or a State Government or to a company and association or a body of individuals whether incorporated or not which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to a local authority set up by an Act of Parliament or of the Legislature of a State ; and			

1	2	3	4	5	6	7
			(v) withholding of increments of pay without cumulative effect ;			
			Major Penalties :			
			(vi) withholding of increments of pay with cumulative effect ;			
			(vii) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period with further directions as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay ;			
			(viii) reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service			

1	2	3	4	5	6	7
			from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service ;			
			(ix) Compulsory retirement;			
			(x) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government;			
			(xi) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government.			

APPENDIX D

[See rule 14(2)]

Sr. No.	Designation of posts	Nature of order	Authority	Appellate authority	Second and final Appellate authority, if any
1	2	3	4	5	6
1	Daftari	(i) reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension ;	Director	Secretary	--
2	Peon				
3	Chowkidar				
4	Sweeper				
		(ii) terminating the appointment otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.			

M. L. TAYAL,

Commissioner and Secretary to Government,
Haryana, Industries Department.

19633 CS(H)--Govt. Press, U.T., Chd.